न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 28/अपील/2024 (GCMS No. 2024/91)	10.06.2024	08.10.2024

रामनाथ आ. प्रभू जाति गुर्जर,
निवासी ग्राम सालरया, तहसील एवं जिला बून्दी।

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलांट की ओर से श्री महेश शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल संख्या 262/2024 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को विधिविरूद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 28/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/91 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तक्र प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया, अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। ऐसे में अपीलांट अपने अधिकारों से वंचित हो गया। इसके बावजूद अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर हल्का पटवारी की असत्य रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय एकतरफा आदेश पारित कर सिविल सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय एवं विधि सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के बाद उक्त आराजी पर से अपीलांट द्वारा कब्जा छोड दिया है। आरोपित शास्ति अपीलांट द्वारा राजकोष में जमा करवा दी है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांट पर कोई राशि बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माने जाने में कानूनी त्रुटि की है। चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है तथा पेनल्टी राशि जमा करवा दी है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कठोर दण्ड सिविल सजा को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अपील जानकारी से अवधि मध्य पेश की है, यदि विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.03.2024 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तक्र प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी सिवायचक भूमि है, जिस पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट बार बार अतिचार करने का आदी है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। अपीलांट के पश्चातवृर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपील का परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। उक्त प्रा0पत्र न्यायहित में स्वीकार कर विलम्ब अवधि का शमन किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट ने भूमि ख.सं. 194/1 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम सालरया पर संवत् 2080 मौसम रबी में गेहूँ की फसल काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए 250/– रू. शास्ति, 1750/– फसल नीलामी, बेदखली तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया, जिस पर अपीलांट की तामील होना अंकित है। इस प्रकार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को अपना जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलांट की ओर से उक्त भूमि पर उनके स्वत्व के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश होना नहीं पाया गया है। अतिक्रमी द्वारा संवत् 2080 मौसम खरीफ में भी फसल काश्त कर उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिक्रमियों को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट बार बार अतिचार करने के आदी है। अपीलांट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय नायब तहसीलदार बून्दी की पत्रावली सं.1271/23 निर्णय दिनांक 11.10.23 की प्रमाणित प्रति से होती है, किन्तु दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा छोड दिये जाने, शास्ति राशि जमा करवा दिये जाने एवं भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किये जाने की बात कही है।

अतः RRD 2009 पेज 358, RRD 2015 पेज 102 एवं RRD 2019 पेज 480 पर उद्धहरण न्यायिक दृष्टांतों को मद्देनजर रखते हुए न्यायहित में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से मौके पर कब्जा छोड दिया हो, अधिरोपित सम्पूर्ण शास्ति जमा करा दी गई हो तथा अपीलांट भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे, इस आशय का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जावे, तब तहसीलदार बून्दी इन सब तथ्यों की पुष्टि कर इसे पत्रावली की आदेशिका में उल्लेखित करने के उपरान्त, अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित शास्ति एवं बेदखली से संबंधित आदेश यथावत रखते हुये, केवल सिविल सजा का आदेश निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं करने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.03.2024 यथावत रहेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी